न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 09/25 (वाद)
GCMS No. : 2025/20

अनवान

1. श्रीमती जमनादेवी पत्नी रतनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....वादीया

बनाम्

1. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. जमनादेवी पुत्री छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. पुष्पा पुत्री छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उपपंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादीया।
2. श्री शैलेष कुमार मीणा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.03.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 3196, 6470/3197, 6471/3198 किता 3 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात में वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के नाम पर 19/775 हिस्सा दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात को मुझ वादीया द्वारा श्री छगनलाल भील पिता हीरा लाल जी भील से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2020 को खरीदी की गई। तब से लेकर आज तक मुझ वादीया द्वारा एवं मेरे परिवार द्वारा उक्त भूमि पर काबिज हो उपयोग किया जा रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के पश्चात् मुझ वादीया द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवार हल्का सनवाड को विक्रय पत्र की प्रति सुपुर्द करी परन्तु पटवार हल्का का अन्यत्र स्थानान्तरण होने से मुझ वादीया के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण नहीं किया गया, जिससे मुझ वादीया के द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् भी मेरे नाम दर्ज नहीं हो सकी एवं विक्रेता छगनलाल भील का देहावसान दिनांक 19.08.2022 को हो जाने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण छगनलाल के वारिसों प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हो गया। मैं वादीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला होने से राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरण नहीं खोलने की जानकारी मुझ वादीया को नहीं हो पायी जिससे उक्त भूमि का नामान्तरण प्रतिवादीगणों के नाम हो जाने की जानकारी मुझे नहीं हो पायी। मैं वादीया उक्त कृषि भूमि को खरीदने के पश्चात से ही कब्जे काश्त होकर उक्त भूमि पर उपज कर अपने परिवार का गुजारा भरण पोषण कर रही हूं।

4. यह कि उक्त कृषि भूमि का मुझ वादीया का मौके पर कब्जा होने एवं उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2020 के अनुसार, उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बजाय मुझ वादीया को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराई जानी आवश्यक है, इसलिए मुझ वादीया द्वारा यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ वादीया का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि मुझ वादीया ने वाद में वर्णित कृषि आराजीयात में 92/6200 वां हिस्सा जो कि मुझ वादीया द्वारा छगनलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2020 को क्रय किया था जो कि राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरण नहीं होने की वजह से एवं छगनलाल की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। मुझ वादीया के पास उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने से एवं मैं वादीया उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही हूं, जिससे सुविधा संतुलन भी मुझ वादीया के पक्ष में है। मैं वादीया विक्रय पत्र अनुसार उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में कब्जे काश्त होकर विक्रय पत्र अनुसार 92/620[illegible]से पर काबिज होकर काश्त कर रही हूं एवं विधिक रूप से मुझ वादीया [illegible] उक्त भूमि पर विक्रय पत्र अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pohadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

92/6200 वां हिस्सा होने से एवं नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज हो जाने से मुझ वादीया को जो क्षति हो रही उसका मूल्यांकन पैसों में किया जाना असंभव है और मुझ वादीया के नाम पर उक्त भूमि का नामान्तरण होने एवं 92/6200 वें हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित होने से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

6. यह कि मुझ वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 18.02.2025 को पैदा हुआ जब मुझ वादीयां ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया ओर जमाबन्दी की नकल प्राप्त हुई तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का मुझ वादीया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित 92/6200 वें हिस्से भूमि अनुसार, 92/6200 वें हिस्सा भूमि का काश्तकार घोषित फरमाया जाकर हमारा नाम राजस्व रेकार्ड, खेवट, खतौनी, जमाबन्दी में अंकित कराया जावें। यह कि मुझ वादीया के पक्ष में एवं विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादपत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में अंकित भूमि को रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय व अन्य किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रतिवादी संख्या 6 ताफैसला वाद पंजीयन नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, न नामान्तरकरण खोले न स्वीकृत करें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3196, 6470/3197, 6471/3198 किता 3 कुल रकबा 0.5018 हेक्टेयर जमीन हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में हम प्रतिवादीगण का 19/775 वां हिस्सा दर्ज होना स्वीकार हैं। हम प्रतिवादीगण के मौ[illegible]नलाल द्वारा वादीया को पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार उप[illegible] भूमि में 92/[illegible]200 वे हिस्से का विक्रय किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pumadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

है शेष हिस्सा हम प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम पर दर्ज है जो हमारे मौरूस छगनलाल द्वारा विक्रय नहीं किया है उसे हम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रखा जावें। हम प्रतिवादीगण के पिता छगनलाल का देहावसान दिनांक 19.08.2022 को हो गया हैं स्वीकार हैं। वादीया का उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उक्त भूमि से प्राप्त उपज से अपने परिवार का भरण पोषण करने का कथन स्वीकार हैं। प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हिस्से में से वादीया के नाम पर पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार उक्त कृषि भूमि में हिस्से अनुसार घोषित फरमायी जावे तो हमे कोई उजर ऐतराज नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादीया को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2022 के अनुसार उक्त कृषि भूमि में हिस्से अनुसार घोषित किया जावें।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीया शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती जमनादेवी का पेश किया। वादीया द्वारा दस्तावेज मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 209 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2020 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2ए करवाये गये। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 209 पर दर्ज आराजी नम्बर 3196, 6470/3197, 6471/3198 किता 3 कुल रकबा 0.5018 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 19/775–19/775 हक हिस्से से दर्ज है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पिता छगनलाल भील के नाम दर्ज थी। खातेदार छगनलाल भील द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2020 से 92/6200 वां वादीया को विक्रय किया गया। वादीया ने विक्रय पत्र अनुसार नाम दर्ज करने हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को दी, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण प[illegible] करने से वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही हुआ। तत्पश्चात [illegible]ता छगनलाल की मृत्यु हो जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

विरासत के नामान्तरकरण संख्या 6227 दिनांक 29.09.22 से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीया का नाम अंकित करना चाहिए, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीया को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि हमारे पूर्वज छगनलाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीया को जमीन विक्रय की गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीया को खातेदार घोषित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम सनवाड पटवार सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 209 पर दर्ज आराजी नम्बर 3196, 6470/3197, 6471/3198 किता 3 कुल रकबा 0.5018 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील, जमना देवी पिता छगनलाल भील, पुष्पा पिता छगनलाल भील के नाम संयुक्त रूप से 57/775 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीया जमना देवी पत्नी रतनलाल भील को 92/6200 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील, जमना देवी पिता छगनलाल भील, पुष्पा पिता छगनलाल भील को सयुंक्त रूप से 364/6200 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती जमनादेवी पत्नी रतनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....वादीया

बनाम्

1. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. जमनादेवी पुत्री छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. पुष्पा पुत्री छगनलाल भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उपपंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 09/25 (वाद)

GCMS No. : 2025/20

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम सनवाड पटवार सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 209 पर दर्ज आराजी नम्बर 3196, 6470/3197, 6471/3198 किता 3 कुल रकबा 0.5018 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील, जमना देवी पिता छगनलाल भील, पुष्पा पिता छगनलाल भील के नाम संयुक्त रूप से 57/775 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादीया जमना देवी पत्नी रतनलाल भील को 92/6200 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मोहनी बाई पत्नी छगनलाल भील, जमना देवी पिता छगनलाल भील, पुष्पा पिता छगनलाल भील को सयुंक्त रूप से 364/6200 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली